न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2021/291

1. अशोक कुमार पुरोहित पुत्र स्व. श्री प्रहलाद, उम्र 70 जाति पारीक, निवासी ग्राम करीरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर हाल निवासी 20ए, श्रीराम विहार–जी, सिरसी रोड, कनकपुरा, जयपुर– 302034

अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती रूकमा देवी पत्नी स्व. श्री मदन लाल, उम्र व्यस्क, जाति पारीक, पारीक, निवासी– ए–33, विवेकानन्द कॉलोनी, नया खेडा, अम्बाबाडी, जयपुर 302039 (फौत)
2. भंवरलाल पारीक पुत्र स्व. श्री मदन लाल, उम्र व्यस्क, जाति पारीक, निवासी. ए– 33, विवेकानन्द कॉलोनी, नया खेडा, अम्बाबाडी, जयपुर – 302039
3. जगदीश पुत्र स्व. श्री मदनलाल, उम्र व्यस्क, जाति पारीक, ग्राम करीरी, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ।
4. हरिनारायण पुत्र स्व. श्री मदनलाल, उम्र व्यस्क, जाति पारीक, प्लॉट नम्बर 8, गुरूदेव विहार– द्वितीय, पानी की टंकी के पास, अनोखा गाँव रोड, हरमाडा, जयपुर – 01 जयपुर ।
5. रामजीलाल पुत्र स्व. श्री मदन लाल, उम्र व्यस्क, जाति पारीक, निवासी ग्राम करीरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ।
6. रामकिशोर पुत्र स्व. श्री मदन लाल, उम्र व्यस्क, जाति पारीक, निवासी– ग्राम करीरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ।
7. श्रीमती प्रेम देवी पुत्री स्व. श्री मदन लाल पत्नी श्री मामराज, व्यस्क, जाति पारीक, निवासी– गढ के पास, दादा मोहल्ला, अजीतगढ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान।
8. श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी श्री किशोर चन्द, निवासी ग्राम करीरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ।
9. श्रीमती नानगी देवी पत्नी श्री गिरधारी, ग्राम करीरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
11. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयक कार्यालय शाहपुरा, जयपुर।
12. श्रीमान् प्रबंधक महोदय, एसबीआई बैंक, शाखा – शाहपुरा, जिला जयपुर
13. श्रीमान् प्रबंधक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक शाखा– अजीतगढ. जिला जयपुर

प्रत्यर्थीगण

14. श्री प्रहलाद, उम्र व्यस्क, जाति 14. योगेन्द्र कुमार पुत्र स्व. ब्राहम्ण, निवासी– ग्राम करीरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ।
15. श्रीमती सुशीला देवी पुत्री स्व. श्री प्रहलाद पत्नी श्री अशोक पारीक, उम्र व्यस्क, जाति ब्राहम्ण, निवासी मकान नम्बर 388, कमरक का कुआ, गेटोर रोड, ब्रहम्पुरी, जयपुर ।
16. श्रीमती प्रेम देवी पुत्री स्व. श्री प्रहलाद पत्नी स्व. श्री रामधन, उम्र व्यस्क, जाति ब्राहम्ण, निवासी– आत्माराम कॉलेज के पास, ग्राम पो० बस्सी जिला जयपुर ।

तरतीबी प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 36 दिनांकित 23.06.1986 व नामान्तरकरण संख्या 681 दिनांकित 06.08.2001 तथा विरूद्ध निर्णय दिनांकित 24.09.2021 जो उक्त दोनों नामान्तरकरणों के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रथम अपील संख्या 76/2019 बउनवानी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अशोक कुमार पुरोहित बनाम श्रीमती रूकमा देवी व अन्य में माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर–कोटपूतली, जयपुर ने अपीलार्थी की अपील खारिज कर पारित किया है।

उपस्थित–

1. श्री हेमन्त सैनी, वकील अपीलान्ट
2. श्री हमेन्द्र शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की ओर से
3. श्री रामकिशोर यादव, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 9 की ओर से।
4. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 10, 11 की ओर से।

निर्णय

दिनांक – 06.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर–कोटपूतली जयपुर के निर्णय दिनांक 24.09.2021 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम करीरी, भू.अ.नि. अमरसर भूमि हाल खाता संख्या 321 का खसरा संख्या 1285 रकबा 0.55 है0, खसरा संख्या 1286 रकबा 0.14 है0, हाल खाता संख्या 322 का खसरा संख्या 1291 रकबा 0.76 है0, हाल खाता संख्या 593 का खसरा संख्या 36 रकबा 0.22 है0 कुल किता 04 रकबा 1.67 हैक्टेयर भूमि के खातेदार प्रहलाद पुत्र भागीरथ की मृत्यु दिनांक 27.11.1982 को होने पर उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 36 दिनांक 23.06.1986 को अति. तहसीलदार शाहपुरा द्वारा धापा देवी बेवा जानकीलाल के नाम तस्दीक किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट अशोक कुमार पुरोहित पुत्र स्व. श्री प्रहलाद ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटूपतली जिला जयपुर के यहां अपील की गयी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटूपतली जिला जयपुर द्वारा दिनांक 24.09.2021 को अपील खारिज करने के आदेश दिये गये।

3. अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटूपतली जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 24.09.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट अशोक कुमार पुरोहित पुत्र स्व. प्रहलाद द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश 24.09.2021 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया अपीलार्थी व तरतीबी प्रत्यर्थी 14 लगायत 16 की पुश्तैनी खातेदारी भूमि हाल खाता संख्या 321 का खसरा संख्या 1285 रकबा 0.55 है0, खसरा संख्या 1286 रकबा 0. 14 है0, हाल खाता संख्या 322 का खसरा संख्या 1291 रकबा 0.76 है०, हाल खाता संख्या 593 का खसरा संख्या 36 रकबा 0.22 है0, कुल किता 04 रकबा 1.67 हैक्टेयर है, वाके ग्राम करीरी, भू–अभिलेख निरीक्षेक क्षेत्र–अमरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। अपीलार्थी व तरतीबी प्रत्यर्थी संख्या 14 लगायत 16 के पिता श्री प्रहलाद दत्तक पुत्र श्री भागीरथ की निर्वसीयती अवस्था में दिनांक 27.11.1982 को देहान्त हो गया। उनकी मृत्यु के बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 7 के पूर्वजों ने राजकीय कर्मचारियों से मिलीभगत कर एक नामान्तकरण संख्या 36 दिनांक 23.06.1986 अपीलार्थी को बिना जानकारी दिये भरवाकर तस्दीक करवाया। उक्त नामान्तकरण में अपीलार्थी व तरतीबी प्रत्यर्थी संख्या 14 लगायत 16 के पिता श्री प्रहलाद जी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

को नाऔलाद फौत बताया तथा राजस्व कर्मचारियों से साज कर उक्त भूमि अपने नाम करवा ली। उक्त कार्यवाही का अपीलार्थी को कभी कोई ज्ञान नहीं रहा है। उक्त नामांतकरण विधि विरूद्ध तरीके से तहसीलदार–शाहपुरा (जयपुर) द्वारा खोला गया। उक्त नामान्तकरण संख्या 36 के आधार उपरोक्त भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 7 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 8 व 9 के पक्ष में विक्रय कर दी गई जिसके संबंध में नामान्तकरण संख्या 681 दिनांक 06.08.2001 को तस्दीक किया गया, जो भी अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 14 लगायत 16 के हक अधिकारों के प्रति अवैध व शून्य है। प्रत्यर्थी संख्या 8 व 9 ने प्रत्यर्थी संख्या 12 के समक्ष तथा प्रत्यर्थी संख्या 5 ने प्रत्यर्थी संख्या 13 के समक्ष उपरोक्त भूमि को रहन रख दिया। उपरोक्त दोनों नामान्तकरण की जानकारी होने पर अपीलार्थी ने माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटपूतली, जयपुर के समक्ष एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम संख्या 76/2019 बउनवानी अशोक कुमार पुरोहित बनाम श्रीमती रूकमा देवी व अन्य प्रस्तुत की, जो बाद सुनवाई दिनांक 24.09.2021 को खारिज कर दी गई जिससे व्यथित होकर उक्त द्वितीय अपील अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। आक्षेपित नामान्तकरण व आक्षेपित निर्णय 24.09.2021 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। नामान्तकरण संख्या 36 दिनांकित 23.06.1986 मृतक प्रहलाद की फौतगी पर विरासत का नामान्तकरण खोला गया था तथा उपरोक्त नामान्तकरण में मृतक प्रहलाद को नाऔलाद अंकित किया गया था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि फौतगी नामान्तकरण में यह देखा जाना आवश्यक है कि जिस व्यक्ति का नाऔलाद होने पर नामान्तकरण तस्दीक किया जाना है, क्या वह वास्तव में नाऔलाद था अथवा नहीं, यदि नाऔलाद नहीं था तो क्या उसके प्रथम श्रेणी के जीवित वारिसान जीवित है अथवा नहीं। जिस समय उपरोक्त किया गया, तत्समय आक्षेपित नामान्तकरण संख्या 36 तस्दीक किया गया, मृतक प्रहलाद के जीवित विधिक वारिसानों में (तीन पुत्र व दो पुत्रीयाँ) अपीलार्थी व तरतीबी प्रत्यर्थी संख्या 14 ता 16 के अलावा श्री प्रभु दयाल जी (जिनका बाद में नाऔलाद अवस्था में देहान्त हो चुका है) जीवित थे, परन्तु उपरोक्त तथ्यों को छिपाकर व राजकीय कर्मचारियों से आपराधिक षडयंत्र कर उपरोक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया। उपरोक्त नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया और ना ही कोई सूचना दी गई और ना ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया जबकि मौके पर अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 14 लगायत 16 आज भी अपने हिस्से पर संयुक्त रूप से काबिज है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालयों ने उपरोक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही आक्षेपित आदेश व निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। नामान्तकरण संख्या 36 मृतक प्रहलाद के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण खोला गया था, जिसमें मृतक प्रहलाद का नाऔलाद अंकित किया गया था, जबकि मृतक प्रहलाद के वारिसान में तत्समय अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 14 लगायत 16 तथा श्री प्रभुदयाल जी (जिनका नाऔलाद अव्यवस्था में देहान्त हो गया।) जीवित थे। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 14 लगायत 16 मृतक प्रहलाद के जीवित विधिक वारिसान होने से शेष प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 9 ने कभी भी इन्कार नहीं किया है। इसके अलावा प्रथम अपीलीय न्यायालय की पत्रावली पर प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 6 द्वारा स्वीकृत ऐसी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है जिससे शेष प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 9 स्वीकार करते है कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 14 ता 16 मृतक प्रहलाद क जीवित विधिक वारिसान है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 14 ता 16 मृतक प्रहलाद के हिस्से की भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज है जिनका उक्त भूमि में अविभाजित हिस्सा निहित है परन्तु उपरोक्त समस्त तथ्यों को छिपाते हुये आपराधिक पडयंत्र के तहत नामान्तकरण संख्या 36 निष्पादित किया गया, आधार पर ही अपास्त किये जाने योग्य है। जो उक्त इसलिये आपेक्षित आदेश व निर्णय विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.09.2021 में अधीनस्थ न्यायालय ने विवेचित किया है कि अपील मियाद बाहर की गई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त संबंध में निवेदन है कि नामान्तकरण संख्या 36 एक आपराधिक षडयंत्र के तहत पारित किया गया था जिसकी ना तो अपीलार्थी को कोई सूचना दी गई थी और ना ही कोई जानकारी थीं। उपरोक्त तथ्य की जानकारी होने पर अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी तथा अपील प्रस्तुत करने में देरी हुऐ कारणों को अंकित करते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किये जाने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम भी प्रस्तुत किया था, परन्तु अधिनस्थ विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर विना कोई गौर किये ही आक्षेपित निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आपेक्षित नामान्तकरण संख्या 36 एक अपराध की परिणिती है जिसके संबंध में मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू भी नहीं होते है, परन्तु, अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों पर भी गौर नहीं किया । इसलिये भी आपेक्षित निर्णय व आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। किसी भी राजकीय अधिकारी के समक्ष किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर उस राजकीय अधिकारी का यह विधिक कर्तव्य व दायित्व है कि वह उन दस्तावेजों व तथ्यों की सत्यता की अपने स्तर पर जाँच करवाये परन्तु उपरोक्त प्रकरण में नामान्तकरण संख्या 36 निष्पादित किये जाने से पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा ना तो दस्तावेजों की जाँच करवाई गई और ना ही मौके पर ही कोई जॉच की गई, केवल सरसरी तौर पर ही आक्षेपित नामान्तकरण तस्दीक कर दिया परन्तु अधिनस्थ न्यायालयों ने उपरोक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही आक्षेपित आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। उपरोक्त मामले में अपीलीय न्यायालय को केवल यह देखना था कि मृतक प्रहलाद नाऔलाद फाँत हुए या नही तथा अपीलार्थी व तरतीबी प्रत्यर्थी संख्या 14 लगायत 16 मृतक प्रहलाद के जीवित वारिसान है अथवा नहीं। अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आपेक्षित निर्णय में इस संबंध में कोई विवेचन नहीं किया है इसलिये भी आक्षेपित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है । नामान्तकरण संख्या 36 के जरिये धापा देवी के नाम तस्दीक नामान्तकरण आदेश में धापा देवी को बहन बताकर मृतक प्रहलाद का वारिस बताया गया है, जबकि धापा देवी से मृतक प्रहलाद का कोई नाता नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि आपसी षडयंत्र के तहत नामान्तकरण भी खोला गया है, जिसके संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य भी अपीलीय न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद थी। इसलिये भी आपेक्षित आदेश व निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। आक्षेपित नामान्तकरण खोले जाते समय लेण्ड रिकॉर्ड प्रावधानों के कतई पालना नहीं की गई। ग्राम रूल्स के करीरी में मृतक प्रहलाद की अन्य कृषि भूमियाँ भी थी जिनका मृतक प्रहलाद के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण अपीलार्थी व उनके शेष वारिसान के नाम खोला गया है जिससे भी स्पष्ट है कि आक्षेपित नामान्तकरण एक अपराध की पणिनिति है। इसलिये भी आपेक्षित आदेश व निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित नामान्तकरण संख्या जयपुर 36 दिनांकित 23.06.1986 व नामान्तकरण संख्या 681 दिनांकित 06.08.2001 व प्रथम अपीलीय न्यायालय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 24.09.2021 अपास्त फरमावें तथा अपीलार्थी व तरतीबी प्रत्यर्थी संख्या 14 लगायत 16 के पक्ष में नामान्तकरण खोले जाने के आदेश फरमावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी ने अपीलार्थी व तरतीबी प्रत्यार्थी सं. 14 लगायत 16 की पुश्तैनी खातेदारी भूमि हाल खाता सं. 321 का खसरा सं. 1285 रकबा 0.55 हैक्ट. खसरा सं. 1286 रकबा 0.14 हैक्ट हाल खाता सं. 322 का खसरा सं. 1291 रकबा 0.76 हैक्ट हाल खाता सं. 593 का खसरा नं. 36 रकबा 0.22 हैक्ट. कुल किता 4 रकबा 1.67 हैक्ट वाकै ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर हाल जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित भूमि को अपनी पुश्तैनी खातेदारी की भूमि होना कहते हुये नामान्तकरण सं. 36 दिनांक 23.6.1986 व नामान्तकरण सं. 681 दिनांक 6.8.2011 के विरूद्ध माननीय अधिनस्थ न्यायालय

जिला कलेक्टर कोटपूतली के अपील सं. 76/2019 के निर्णय के खिलाफ यह अपील पेश कि गई है जो कि अपीलार्थी ने गलत रूप में तथ्यों को छुपाते हुये सही तथ्य पेश नही करते हुये अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी ने उक्त भूमि को अपीलार्थी व तरतीबी प्रत्यार्थी सं. 14 लगायत 16 की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि होना कहा है वो गलत रूप में कथन किया है। भूमि हाल खाता सं. 321 का खसरा सं. 1285 रकबा 0.55 हैक्ट खसरा सं. 1286 रकबा 0.14 हैक्ट हाल खाता सं. 322 का खसरा सं. 1291 रकबा 0. 76 हैक्ट. हाल खाता सं. 593 का खसरा नं. 36 रकबा 0.22 हैक्ट. कुल किता 4 रकबा 1.67 के साबिक खसरा नम्बर 1369, 1368, 1360, 29 है जिसमें से साबिक खसरा नं. 1369 से हाल खसरा नम्बर 1285, साबिक खसरा नम्बर 1368 से हाल खसरा नम्बर 1286, साबिक खसरा नम्बर 1360 से हाल खसरा नम्बर 1291, साबिक खसरा नम्बर 29 से हाल खसरा नम्बर 36 नम्बर कायम किये गये है। जिसका मिलान क्षेत्रफल अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में स्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत है तथा साबिक खसरा नम्बर 1369, 1368, 1360, 29 की सम्वत 2020 की जमाबन्दी प्रस्तुत है जिसमें भूमि साबिक खसरा नम्बर 1369, 1368, 1360, 29 भागीरथ पुत्र रामप्रताप के नाम अंकित है जो कि भागीरथ पुत्र रामप्रताप नाऔलाद फौत हुआ रामप्रताप के एक मात्र पुत्री धापा देवी हुई जो की भागीरथ की बहिन थी अपीलार्थी के पुर्वज प्रहलाद ने फर्जी जालसाजी से उक्त भूमि व अन्य भूमियों को अपने नाम प्रहलाद पि. मु. बनकर अपने नाम नामान्तकरण गलत विधि विपरीत रूप से खुलवा लिया था जो कि धापा देवी को जानकारी होने पर उसने सक्षम अधिकारी को प्रार्थना पत्र देने पर नामान्तकरण सं. 370 से उक्त भूमि व अन्य भूमि का नामान्तकरण सम्वत 2032 से 2035 के समय में खुल गया था जो कि सम्वत 2032 से 2035 की जमाबन्दी के कॉलम सं 16, 17 में दर्ज है जो रेस्पोडेन्टस द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई है तथा नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2037 से 2040 में भी रेस्पोडेन्टस की पुर्वज धापा देवी का नाम खातेदार के रूप में दर्ज है जो न्यायालय अधिनस्थ की पत्रावाली में रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत की गई है। जो कि हाल भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलती से गलत रूप में उक्त खसरा नम्बर को पुनः अपीलार्थी के पुर्वज प्रहलाद पि. मु. के नाम गलत रूप में दर्ज किय जाने से पुनः नामान्तकरण सं. 36 दिनांकित 23.6.1986 से धापा देवी के नाम नामान्तकरण खोला गया है जिन सब तथ्यों की जानकारी अपीलार्थी को सैदव से रही है जो कि धापा देवी भागीरथ पुत्र रामप्रताप की बहिन होने से भागीरथ के नाऔलाद फौत होने से उसके वारिसान का नामान्तकण खोला गया है जिसमें केवल तकनीकी लिपिकीय त्रुटि होने का फायदा लेने के लिये अपीलार्थी ने गलत विधि विपरीत सम्पूर्ण तथ्यों को जानते हुये गलत रूप में अपील प्रस्तुत की है जो कि मियाद बाहर पेश की है नामान्तकरण एक फिस्कल कार्यवाही है जिससे किसी प्रकार का अधिकार व स्वत्व प्राप्त नही होता है अगर भूमि अपीलार्थी की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है तो सक्षम न्यायालय में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा सकते है। लेकिन भूमि अपीलार्थी की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि नही थी न ही है इस कारण अपीलार्थी को भूमि में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नही होने से केवल मात्र तकनीकी गलती का फायदा लेने के लिये शुरू से जानकारी होते हुये गलत विधि विपरीत तरीके से मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है जिसे माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने सही रूप में खारिज किया है। अपीलान्ट ने अपने मियाद के प्रार्थना पत्र में अकित किया है कि दिनांक 27. 11.1982 को प्रहलाद की मृत्यु होने के बाद अपीलार्थी ने अन्य भूमियों के साथ नामान्तकरण खुलवाने के लिये उक्त भूमि संबंधी दस्तावेज भी नामान्तकरण खुलवाने हेतु पटवारी हल्का को दे दिये थें परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने अन्य भूमियों के नामान्तकरण तो अपीलांट के नाम खोल दिये गये परन्तु प्रश्नगत नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट से मिलकर उनके हक में तस्दीक कर दिया गया उक्त तथ्य की जानकारी अपीलान्ट को कभी नही हुई तथा अपीलान्ट ने यही माना की अन्य खातो के साथ प्रश्नगत नामान्तकरण भी अपीलान्ट के नाम खोल दिया गया होगा तथा अपीलान्ट राजकीय सेवा में जयपुर पदस्थापित होने के

कारण इस संबंध में ज्यादा जानकारी नही हो सकी अभी हाल ही में दिनांक पुराने रिकार्ड की नकल लेने पर उक्त प्रश्नगत नामान्तकरण की सर्वप्रथम जानकारी मिली का कथन करते हुये अपीलान्ट ने मिथ्या तथ्यों का अंकन करते हुये अपील को मियाद में लाने के लिये गलत रूप में प्रार्थना पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत की है क्योकि अपीलान्ट को धापा देवी के नाम नामान्तकरण सही रूप में खुला था इस तथ्य की जानकारी शुरू से रही है क्योंकि अपीलार्थी पढा लिखा है ओर राजकीय सेवा में कार्यरत रहा है। तथा यह बात भी अपीलान्ट की गलत है कि अपीलान्ट को प्रश्नगत नामान्तकरण रेस्पोडेन्टस से मिलकर उनके हक में तस्दीक कर दिया गया। क्योंकि प्रश्नगत नामान्तकरण जो खोला गया है वो रेस्पोडेन्टस से मिलकर नही खोला गया है ना ही रेस्पोडेन्टस के हक में तस्दीक कर दिया गया है बल्कि प्रश्नगत नामान्तकरण रेस्पोडेन्टस सं. 1 लगायत 7 की पुर्वज धापा देवी के हक में उसकी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने से भागीरथ के मरने से खोला गया है जिस भूमि को अपीलार्थी के पिता ने अपने नाम फर्जी तरीके से करवाया गया था। जिन सब तथ्यों की जानकारी अपीलार्थी को पढ़ा लिखा होने राजकीय सेवा में पदस्थापित होने से शुरू से रही है अब अपीलार्थी ने गलत मिथ्या तथ्यों के आधार पर अपील को मियाद में लाने के लिये झुठे मिथ्या तथ्यों का अंकन कर गलत रूप में अपील मियाद बाहर पेश की है जो माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने सही रूप में खारिज की है। अपीलार्थी ने अन्य भूमियों के साथ नामान्तकरण खुलवाने के लिये उक्त भूमि संबंधी दस्तावेज भी नामान्तकरण खुलवाने हेतु पटवारी हल्का को किस साल किस दिनांक को दिये तथा राजस्व कर्मचारियों ने अन्य भूमियों के नामान्तकरण तो अपीलांट के नाम कब खोल दिये गये तथा प्रश्नगत नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट से मिलकर उनके हक में कब तस्दीक कर दिया गया कोई उल्लेख नही किया गया है तथा अपीलान्ट के द्वारा राजकीय सेवा में जयपुर पदस्थापित होने के कारण इस संबंध में जानकारी क्यों नही की तथा अभी हाल ही में दिनांक पुराने रिकार्ड की नकल किस आवश्यकता के लिये ली कोई भी वर्णन अपनी अपील व प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया अपीलान्ट से सम्पूर्ण तथ्य केवल मात्र अपील का आधार बनाने के लिये झुठे तथ्य अंकित करते हुये अपील मियाद बाहर पेश किये जाने से अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी का पिता प्रहलाद भागीरथ का पुत्र नही था बल्कि प्रहलाद बालूराम का पुत्र था जो कि भागीरथ पुत्र रामप्रताप के नाऔलाद फौत होने पर उसकी उक्त भूमि व अन्य भूमियों को फर्जी वारिस बनकर अपने नाम नामान्तकरण खुलवा लिया था जो कि भागीरथ की बहिन धापा देवी रामप्रताप की पुत्री होने के बावजूद उसकी भूमि को नाजायज फर्जी दस्तावेजो से अपने नाम नामान्तकरण खुलवा लेने से धापा देवी को जानकारी होने पर धापा देवी ने सक्षम अधिकारी को प्रार्थना पत्र देने पर नामान्तकरण सं. 370 दिनांक 30.9.1977 से भूमि धापा देवी के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया गया था लेकिन कुछ भूमियों का नामान्तकरण आज भी धापा देवी व उनके वारिसानों के नही खुलने पर धापा देवी के वारिसानों रेस्पोडेन्टस सं. 1 लगायत 7 ने सक्षम कोर्ट उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर राज. हाल सहायक कलेक्टर शाहपुरा में वादपत्र पेश कर रखा है जो विचाराधीन है। अपीलार्थी का पिता प्रहलाद कभी भी भागीरथ के गोद नही गया ना ही भागीरथ ने प्रहलाद को कभी गोद लिया प्रहलाद ने फर्जी तरीके से रेस्पोडेन्टस पुर्वज की भूमि को नाजायज फर्जी तरीके से हडप करने के लिये अपने नाम नामान्तकरण खुलवाया था जिस भूमि का नामान्तकरण धापा देवी भागीरथ की बहिन होने से उसके नाम नामान्तकण खुल गया था जिन सब तथ्यों की जानकारी अपीलार्थी को शुरू से रही है जिसने नाजायज लाभ प्राप्ति के लिये मियाद बाहर बिना हक अधिकार हिस्सा कब्जा के गलत रूप में अपील प्रस्तुत की जिसे माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यो दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद सही रूप में अपील को मियाद बहार मान कर सही रूप में खारिज किया है। जो निर्णय सही होने से निरस्त किये जाने योग्य नही है। अपीलार्थी के पुर्वज पिता प्रहलाद ने राजकीय कर्मचारियों से मिलीभगत कर भागीरथ पुत्र रामप्रताप के नाऔलाद फौत

संभागीय आयुक्त
जयपुर

होने पर उसकी वारिस उसकी बहिन धापा देवी के जीवित रहते हुये फर्जी तरीके से नामान्तकरण करवाकर भूमि को अपने नाम करवाया था जिस पर जानकारी होने पर धापा के द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अपनी भूमि को अपने नाम करवाया था जो कि धापा देवी ग्रामीण परिवेश की महिला होने से उसको कानूनी कार्यवाही की कोई जानाकारी नही होने से उसे तकनीकी कारणों का पता नही होने से अपीलार्थी जो की सरकारी कर्मचारी रहा है जिसको शुरू से उक्त तथ्यों की जानकारी रही है जिनका अब नाजायज फायदा उठाने के लिये केवल रेस्पोडेन्टस को हैरान व परेशान कर नाजायज रूप से भूमि को हडप करने के लिये गलत मिथ्या तथ्यों पर अपील पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है। भूमि साबिक खसरा नम्बर 1369, 1368, 1360, 29 वाकै ग्राम करीरी की खातेदार काश्तकार धापा देवी रही तथा उसकी मृत्यु के बाद उसकी खातेदारी उसके वारिसानों रेस्पोडेन्टस के आयी जो रेस्पोडेन्टस की पुश्तैनी खातेदारी भूमि होने से रेस्पोडेन्टस सं. 1 लगायत 7 द्वारा रेस्पोडेन्टस सं. 8 व 9 को वैध रूप में विक्रय कि गई जिसका नामान्तकरण सं. 681 दिनांक 6.8.2001 को तस्दीक किया गया है जो वैध रूप में तस्दीक किया गया है जो अपीलार्थी व प्रत्यार्थी सं. 14 लगायत 16 के हक अधिकारों के प्रति अवैध व शून्य नही है बल्कि अपीलार्थी की अपील गलत विधि विपरीत तथ्यों की शुरू से जानकारी रहते हुये गलत रूप में पेश की गई होने से खारिज किये जाने योग्य है। भागीरथ पुत्र रामप्रताप के नाऔलाद फौत होने पर भूमि का नामान्तकरण प्रहलाद ने फर्जी दस्तावेजो से अपने नाम खुलवा लिया था तो उसकी जानकारी धापा देवी को होने पर धापा देवी ने सक्षम प्राधिकारी को प्रार्थना पत्र देने पर नामान्तकरण सं. 370 से भूमि धापा देवी के नाम नामान्तकरण सम्वत 2032 से 2035 की अवधि में खोल दिया गया तथा लेकिन उसके बाद हाल भू–प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही होने से भूमि में सहवन से प्रहलाद पुत्र भागीरथ का नाम रह जाने से उसका नामान्तकरण धापा देवी के भरने पर भागीरथ के नाऔलाद फौत होने पर उसके बजाय उसकी बहन धापा देवी के नाम दर्ज होना था जो कि तकनीकी लिपिकीय त्रुटि से प्रहलाद के मरने पर उसकी बहन के नाम होने की तकनीकी लिपिकीय त्रुटि होने का फायदा लेने के लिये अपीलार्थी ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर मियाद बहार अपील पेश कि है क्योकि अपीलार्थी को उक्त तथ्यों की शुरू से जानकारी रही है क्योंकि अपीलार्थी पढा लिखा सरकारी कर्मचारी है जिनको सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी शुरू से रही है अन्यथा में भूमि साबिक खसरा नम्बर 1369, 1368, 1360, 29 जिसके हाल खसरा नम्बर 1285, 1286, 1291, 36 बने है जो रेस्पोडेन्टस सं. 1 लगायत 7 की पुश्तैनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। जिससे अपीलार्थी का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार हिस्सा कब्जा काश्त सम्बन्ध नही होने से किसी प्रकार के अधिकार नही होने से भी अपील निरस्त किये जाने योग्य है। नामान्तकरण सं. 36 तो तथ्यों को छिपाकर व राजकीय कर्मचारियों से आपराधिक षडयंत्र कर तस्दीक नही किया गया बल्कि अपीलार्थी के पुर्वज प्रहलाद ने अपने नाम भूमि साबिक खसरा नम्बरान 1369, 1368, 1360, 29 का जो नामान्तकरण भागीरथ पि. मु. बनकर अपने नाम नामान्तकरण करवाया था वो जरूर तथ्यों को छिपाकर व राजकीय कर्मचारियों से आपराधिक षडयंत्र कर तस्दीक करवाया गया था क्योंकि भागीरथ पुत्र रामप्रताप के नाऔलाद फौत होने पर उसकी बहिन धापा देवी के नाम नामान्तकरण खुलना चाहिये था जो कि प्रहलाद ने अपने नाम गलत विधि विपरीत भूमि को हडप करने के लिये अपने नाम खुलवाया था जिसका नामान्तकरण भागीरथ के नाऔलाद फौत होने पर उसकी बहिन धापा देवी के नाम नामान्तकरण खोला गया है जिसमें केवल तकनीकी लिपिकीय त्रुटि का फायदा लेने की गर्ज से जिसकी जानकारी अपीलार्थी को शुरू से रही है का नाजायज फायदा लेने के लिये अपील मियाद बाहर व बिना किसी हक अधिकार के पेश कि गई होने से अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्टस कि प्रार्थना है, कि मान्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.09.2021 को सही रूप से पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो साक्ष्यों विधि का विवेचन कर सही निर्णय पारित किये जाने से निर्णय दिनांक 24.09.2021 निरस्त

संभागीय आयुक्त
जयपुर

किये जाने योग्य नही होने से अपीलार्थी की अपील मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की कोई खामी नहीं है, इसलिये भी अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड के अवलोकन पश्चात् ही प्राकृतिक वारिसों के नाम विधिवत् नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विवाद विवादित भूमि के खातेदार प्रहलाद पुत्र भागीरथ की मृत्यु दिनांक 27.11.1982 को होने पर उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 36 दिनांक 23.06.1986 को अति. तहसीलदार शाहपुरा द्वारा धापा देवी बेवा जानकीलाल के नाम तस्दीक किये जाने को लेकर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम करीरी तहसील विराटनगर की जमाबन्दी सम्वत 2032 से 2035 के अनुसार खाता संख्या 228 पर प्रहलाद पिता भागीरथ के नाम ख.नं. 1360, 1386, 1396 मी. तथा ख.नं. 29 अंकित है, जिसका नामान्तरकरण संख्या 36 धापा देवी बेवा जानकीलाल के नाम स्वीकार हुआ है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2037 में धापा देवी बेवा जानकीलाल द्वारा फसल काश्त अंकित है। वकील अपीलान्ट द्वारा भी अपनी बहस में जाहिर किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 के पक्ष में जरिये विक्रय पत्र से नामान्तरकरण संख्या 681 दिनांक 06.08.2001 स्वीकार हुआ है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 26.11.2019 कको उक्त नामान्तरकरण संख्या 36 दिनांक 23.06.1986 को चैलेंज किया है जो मियाद बाहर पेश किया है। वकील अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किये गये जिससे साबित हो सके कि उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही गलत हुई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.09.2021 उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 24.09.2021 यथावत रखा जाता है।

(डॉ.आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 06.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।